

online
2025/495

ग्रामीण सेवा विवर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगोधोपुर (सीकर)

कमाक/रीडर/2025 3640

दिनांक 06/10/2025

उपवानी प्रकरण - ठौरधारी कनाम गुणिकाशे तहसीलदार
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956
मुकदमा संख्या - 183 /2025

-: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपरोक्त निपयानार्गत लेख है कि तहसीलदार श्रीगोधोपुर ने जरिये पत्रांक
21 /भूअ./2025 दिनांक 29/09 /2025 के द्वारा राजस्थान गृह राज्य अधिनियम, 1956
की धारा -136 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राम डाठनापुरा पटवारी हल्का डाठनापुरा
तहसील श्रीगोधोपुर जिला सीकर के गृहि खाता संख्या 175 में खातेदार गौरी देवी
पालि ख. लाल बज्रधारी के स्थान पर गौरी देवी पालि ख. बनवारीनाथ का
नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का डाठनापुरा
उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस
कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।



उपखण्ड अधिकारी
श्रीगोधोपुर (सीकर)
श्रीगोधोपुर (सीकर)

कमाक/रीडर/2025 / 3991-92

दिनांक 06/10/2025

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

- 1 तहसीलदार श्रीगोधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
- 2 पटवारी हल्का डाठनापुरा तहसील श्रीगोधोपुर को पालनार्थ।


उपखण्ड अधिकारी
श्रीगोधोपुर (सीकर)
श्रीगोधोपुर (सीकर)

